महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-66/1350/78-1-2013-05आई0टी0-1/2008

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,(अपराध),
पुलिस महानिदेशक मुख्यालय,
1, तिलक मार्ग डालीबाग, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

विषय:- साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (उ0प्र0)नियमावली बनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-1(101)/2010 दिनांक 23 जनवरी, 2013 (फोटो प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त आदेश द्वारा साइबर क्राइम से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक(अपराध) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2- अवगत कराना है कि साइबर क्राइम की रोक थाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उ0प्र0 नियमावली बनाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रकरण में गृह विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के निदेश दिये गये थे, जिसे शासन के पत्र संख्या-14/78-1-2013-05आईटी-1/2008 दिनांक 03 जनवरी, 2013 (प्रति संलग्न सहित) के द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक (वि0प्र0) आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ0प्र0 लखनऊ से अनुरोध किया गया था। परन्तु कई बार अनुस्मरण कराये जाने के प्रश्चात भी आख्या प्राप्त नहीं हो सकी।

3- चूँकि साइबर क्राइम से सम्बन्धित प्रकरणों में आपको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्न बिन्दुओं पर भिज्ञ साइबर क्राइम एक्सपर्ट की राय लेते हुए नियमावली पर डीआईजी, लखनऊ, ईओडब्लू व डीपीजी की राय एवं अनुमोदन प्राप्त कर नियमावली के उद्देश्य भी स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) नियमावली के बिन्दु-3(2) में पहचान के अतिरिक्त साक्ष्य सुझाएं जायं।

(2) बिन्दु-4(2) को 3(2) के बाद आना चाहिए। शीर्षक () भी ठीक हो।

(3) यदि साइबर कैफे बन्द हो जाय तो रिकार्ड कहॉ रहेगा?

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) साइबर कैफे चलाने वाले व्यक्ति की पात्रता() कैसे देखे जायेगें?

(5) साइबर कैफे खोलने की अनुमति/रजिस्ट्रेशन का क्या प्रावधान है?

(6) सुरक्षा सम्बन्धी डायरेक्शन देने का अधिकार किसे-किसे होगा और वह कानूनी रूप से किस नियम के अन्तर्गत दिया जा सकेगा?

प्रश्नगत प्रकरण विधान सभा आश्वासन समिति में लम्बित है। अतः शीघ्रता अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

http/shasanades.up.nic.in